न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादी :— बनाम प्रतिवादीगण :—

नन्दूराम पुत्र स्व. भूराराम जाट
निवासी हुक्मपुरा तह. परबतसर

1. श्योराम पुत्र भूराराम जाट
2. घासीराम पुत्र भूराराम जाट फौत
   2/1 रामनिवास पुत्र घासीराम
   2/2 श्रवणराम पुत्र घासीराम
   2/3 राजेश पुत्र घासीराम
   2/4 पूनाराम पुत्र घासीराम
   2/5 पांचूराम पुत्र घासीराम
3. कानाराम पुत्र भूराराम जाट
   सभी निवासी हुक्मपुरा
4. तहसीलदार, परबतसर
5. उप पंजीयक परबतसर

दावा बाबत :— घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :— श्री पंकज पुरोहित वकील वादी
श्री हितेन्द्र कुमार वकील प्रतिवादी 1 से 3

मुकदमां नम्बर :— 34/2019 निर्णय दिनांक :— 17.12.2019

निर्णय

1. वादी नन्दूराम पुत्र स्व. भूराराम की ओर से वकील श्री पंकज पुरोहित ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0100 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 99 रकबा 3.90 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 1.48 हैक्टयर कुल रकबा 5.45 हैक्टयर व खसरा नम्बर 60 रकबा 2.32 हैक्टयर व खसरा नम्बर 61 रकबा 0.0400 हैक्टयर गै.मु. कुआ तथा खसरा नम्बर 62 रकबा 2.44 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी 1 से 3 काश्त करते आ रहे हैं। खसरा नम्बर 60, 61, 62 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर में 1/4 हिस्सा वादी की खातेदारी में इन्द्राज हुआ हैं लेकिन पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 98, 99, 158 कुल रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश खातेदारी में वादी के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तकरण दर्ज होने से छूट गया जिसमें वादी का नाम जोड़ा जाना आवश्यक हैं वादी व प्रतिवादी 1 से 3 वर्णित कृषि भूमि पर अपने पिता की मृत्यु के बाद से अपने हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी 1 से 3 वादी के सगे बेड़े भाई हैं। जिन्होने वादी के पिता की मृत्यु के बाद पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मे नामान्तकरण दर्ज कराया उस समय वादी नाबालिग था

17/12/19
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी 2 घीसाराम ने खसरा नम्बर 60, 61, 62 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर में तो वादी का नाम जुड़वा दिया लेकिन खसरा नम्बर 98, 99, 158 कुल रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम इन्द्राज नहीं करवाया हैं जिससे वादी को अपने पैतृक अधिकारो की वंचित होना पड़ रहा है। बिनाय दावा दिनांक 16.11.2018 को प्रतिवादी 1से 3 द्वारा वादी का नाम इन्द्राज करवाने से इन्कार करने पर बमुकाम हुक्मपुरा उत्पन्न हुआ है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 98, 99, 158 कुल रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि पैतृक हक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किए जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.07.2019 को प्रतिवादी 1 से 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्तदीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी 4, 5 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वकील वादी व प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं कर माफिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादी ने वाद के समर्थन में ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 98, 99, 158 रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश की हैं तथा खसरा नम्बर 60, 61, 62 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर की सम्वत 2071–74 की जमाबन्दी पेश की है। नक्शा ट्रेस पेश किया हैं सरपंच ग्राम पंचायत हरनांवा पट्टी द्वारा दिनांक 29.05.2018 को भूराराम का सजरा खानदान पेश किया हैं तथा वादी ने अपना राशन कार्ड की छाया प्रति पेश की है।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर वादी के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 60, 61, 62 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर भूमि में श्योजीराम, कानाराम, घासीराम, नन्दुराम पि. भूराराम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें घासीराम फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 15.07.2017 के उसके वारिसान राधादेवी पत्नी घासीराम, रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम व सोहनी, मोहनी, लच्छु, गीता पुत्रिया घासीराम दर्ज किया गया हैं जिसके बाद हकत्याग करने पर राधादेवी, सोहनी, मोहनी, लच्छू, गीता के स्थान पर रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम दर्ज रिकार्ड किया गया है, जो प्रतिवादी 2/1 से 2/5 वाद में पक्षकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 98, 99, 158 कुल रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि श्योजीराम, घासीराम, कानाराम पि. भूराराम कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें खातेदार घासीराम फौत होने पर जरिये

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

17/12/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 15.07.2017 के उसके वारिसान राधादेवी पत्नी घासीराम, रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम व सोहनी, मोहनी, लच्छु, गीता पुत्रिया घासीराम दर्ज किया गया हैं जिसके बाद हकत्याग करने पर राधादेवी, सोवनी, मोहनी, लच्छू, गीता के स्थान पर रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम दर्ज रिकार्ड किया गया है, जो प्रतिवादी 2/1 से 2/5 वाद में पक्षकार है।

5. वादी प्रस्तुत वाद उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 60, 61, 62 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर भूमि में श्योजीराम, कानाराम, घासीराम, नन्दुराम पि. भूराराम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें घासीराम फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 15.07.2017 के उसके वारिसान राधादेवी पत्नी घासीराम, रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम व सोहनी, मोहनी, लच्छु, गीता पुत्रिया घासीराम दर्ज किया गया हैं जिसके बाद हकत्याग करने पर राधादेवी, सोवनी, मोहनी, लच्छू, गीता के स्थान पर रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम दर्ज रिकार्ड किया गया हैं। जिसमें वादी सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 98, 99, 158 कुल रकबा 5.45 हैक्टयर भूमि श्योजीराम, घासीराम, कानाराम पि. भूराराम कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें खातेदार घासीराम फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 15.07.2017 के उसके वारिसान राधादेवी पत्नी घासीराम, रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम व सोवनी, मोहनी, लच्छु, गीता पुत्रिया घासीराम दर्ज किया गया हैं जिसके बाद हकत्याग करने पर राधादेवी, सोहनी, मोहनी, लच्छू, गीता के स्थान पर रामनिवास, श्रवण, राजेश, पूनाराम, पांचुराम पि. घासीराम दर्ज रिकार्ड किया गया है। जिसमें वादी का नाम दर्ज नही हैं वादी ने बताया हैं कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि हैं तथा नामान्तकरण दर्ज करते वक्त वादी नाबालिग था जिससे प्रतिवादी 1 व 3 एवं प्रतिवादी 2 स्व. घासीराम ने अपना नाम दर्ज करवा लिया वादी का नाम दर्ज करवाने से छोड़ दिया। जिसकी तायद प्रतिवादी 1, 2 के वारिसान एवं प्रतिवादी 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर तायद की हैं, तथा प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर 1/4 , 1/4 हक हिस्सा हैं, तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0100 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 99 रकबा 3.90 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.48 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 के पिता की मृत्यु के बाद वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण दर्ज होने से रह गया जिससे हम प्रतिवादीगण इस विवादित भूमि में वादी का नाम दर्ज करवाने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हैं इस भूमि में

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राज.)

17/12/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

वादी की खातेदारी में 1/4 हिस्सा का इन्द्राज किया जाता हैं तो हम प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नहीं हैं बल्कि हमारी पूर्ण सहमति हैं, माफिक राजीनाम वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी है, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम हुक्मपुरा के ही खसरा नम्बर 60, 61, 62 की जमाबन्दी पेश की हैं जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1, 2, 3 का 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 चारो सगे भाई हैं तथा विवादित भूमि के काबिज काश्तकार है। जिससे वादी का वाद जरिये राजीनामा साबित होता हैं स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

[redacted]